1. परिभाषाएं

1.1. "खाता/खातों" से अर्थ ऐक्सिस बैंक के साथ ग्राहक के खाते/खातों से है, जिन्हें समय-समय पर सीआईबी सेवाओं के लिए पारस्परिक रूप से नामित किया जाता है और इसका अर्थ ऐक्सिस बैंक के साथ ग्राहक के सभी मौजूदा, नए और भविष्य के खातों से है.

1.2. "ग्राहक" या "क्लाइंट" या "कंपनी" का अर्थ होगा इन नियमों और शर्तों के तहत सीआईबी सेवाओं का लाभ उठाने वाला व्यक्ति/संस्था.

1.3. इन नियमों और शर्तों में जहां भी "सीआईबी" या "इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं" या "कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग" या "सेवाएं" का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ इन नियमों और शर्तों के तहत ऐक्सिस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं होंगी, जिनमें फंड ट्रांसफर / भुगतान सेवाएं (एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस सुविधा), चेक / डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर सुविधा, वैधानिक और टैक्स भुगतान, ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज सेवाएं, गैर-वित्तीय सेवाएं (चेक बुक, डीडी, पैन अपडेट आदि) और समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सेवाएं शामिल हैं, और इसमें ऐक्सिस बैंक द्वारा समय-समय पर की जाने वाली सेवाओं में सभी संशोधन भी शामिल होंगे.

1.4. "निर्देश" का अर्थ होगा और इसमें सेवाओं के तहत कवर की गई गतिविधियों को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करके ऐक्सिस बैंक को दिए गए सभी संचार या निर्देश शामिल होंगे, जिसमें रेमिटेंस या फंड ट्रांसफर करने के लिए किसी भी भुगतान निर्देश शामिल हैं.

1.5. "ओटीपी" का अर्थ होगा वन-टाइम पासवर्ड/वन-टाइम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर.

1.6. "आरबीआई" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक.

1.7. "एनपीसीआई" का अर्थ है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.

1.8. "विनियम" या "दिशानिर्देश" का अर्थ है सेवाओं के संबंध में आरबीआई, एनपीसीआई या किसी अन्य सरकारी या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी नियम, विनियम और/या दिशानिर्देश.

1.9. "सुरक्षा प्रक्रिया" का अर्थ है, ऐक्सिस बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना या सत्यापित करना है कि कोई निर्देश या निर्देश को संशोधित या रद्द करने वाला संचार ग्राहक का है या निर्देश की सामग्री के प्रसारण में त्रुटि का पता लगाना है.

1.10. "नियम और शर्तें" का अर्थ होगा ये नियम और शर्तें, जो यहां निर्धारित किए गए अनुसार संशोधित और पूरक हो सकती हैं.

1.11. "यूज़र" का अर्थ उन ग्राहक के प्रतिनिधियों से होगा, जिनके पास सीआईबी के माध्यम से ग्राहक के खाता को एक्सेस करने का अधिकार है और इसमें केवल देखने के अधिकार वाले यूज़र और इनपुट डालने, अपलोड और सत्यापन, कन्फर्मेशन और/या ऑथोराइज़ेशन के अधिकार वाले यूज़र, दोनों शामिल होंगे. जहां ऐसे प्राधिकरण अधिकार ग्राहक द्वारा संयुक्त आधार पर दिए जाते हैं, तो

इस शब्द का अर्थ प्राधिकरण अधिकारों वाले ऐसे संयुक्त यूज़र होंगे, जैसा कि संदर्भ या अर्थ की आवश्यकता हो सकती है.

1.12. "वेबसाइट/साइट" का अर्थ होगा वेब-साइट www.axis.bank.in या ऐसी अन्य वेब-साइट, जो समय-समय पर ऐक्सिस बैंक द्वारा सूचित की जा सकती है.

1.13. "जीएसटी" का अर्थ जीएसटी कानूनों के तहत गुड्स एंड सर्विस की आपूर्ति या दोनों पर लगाया गया कोई भी टैक्स या सेस या दोनों होगा.

1.14. "जीएसटीआईएन" का अर्थ होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर.

1.15. "जीएसटीएन" का अर्थ होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क.

1.16. "जीएसटी कानून" का अर्थ होगा आईजीएसटी अधिनियम 2017, सीजीएसटी अधिनियम 2017, यूटीजीएसटी अधिनियम 2017 और राज्य विशिष्ट एसजीएसटी अधिनियम, 2017 और संबंधित कानूनों के तहत जारी सभी संबंधित नियम, विनियम, अधिसूचनाएं और परिपत्र.

1.17. ग्राहक कन्फर्म करता है कि दिनांक DD-MM-YYYY के बोर्ड रिज़ोल्यूशन (या समान) सही और मान्य हैं. ग्राहक को बोर्ड रिज़ोल्यूशन (या समान) द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लिखित खाता को ऑपरेट करने के लिए यूज़र को अधिकृत करने का अधिकार दिया गया है.

1.18. ग्राहक कन्फर्म करता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लिखित विवरण सही हैं और प्रदान की गई ईमेल आईडी आधिकारिक है.

1.19. (अगर यूज़र की ईमेल आईडी प्राइवेट डोमेन नहीं है, तो लागू) ग्राहक कन्फर्म करता है कि उनके पास प्राइवेट डोमेन वाली ईमेल आईडी नहीं है और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में यूज़र के लिए उल्लिखित ईमेल आईडी सार्वजनिक डोमेन में हैं. ग्राहक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, हैकिंग, चोरी, साइबर अपराध से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी जोखिमों के लिए बैंक को हानिरहित और क्षतिपूर्ति करेगा, जिसमें यूज़र के लिए सार्वजनिक डोमेन आईडी के उपयोग के कारण धन की हानि हो सकती है.

1.20. ग्राहक इस तथ्य से अवगत है कि कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा केवल ग्राहक (ग्राहकों) के अनुरोध पर दी जाती है और बैंक किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की हैकिंग और/या फिशिंग अटैक और/या साइबर संबंधी अपराध के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो सुविधा के लंबित रहने के दौरान खाते में हो सकता है या किया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक (ग्राहकों) के खाते से तीसरे पक्ष के खाते में राशि के ट्रांसफर होने के कारण नुकसान हो सकता है. ग्राहक इस तथ्य से भी अवगत है कि हालांकि बैंक ने सभी आवश्यक उपलब्ध सावधानियां बरती हैं, लेकिन मामले के किसी भी दृष्टिकोण से तीसरे पक्ष द्वारा ऐसे अटैक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और बैंक हमारी ओर से ऐसे किसी भी दावे से मुक्त रहेगा.

1.21. ग्राहक स्वीकार करता है कि उल्लिखित यूज़र के लिए प्रदान की गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही हैं और बैंक से किसी भी/सभी संचार के लिए उनका उपयोग किया जाएगा. ये संचार

ट्रांजैक्शन/सूचना/एक्सेस/जागरूकता से संबंधित हो सकते हैं जो बैंक द्वारा समय-समय पर भेजे जा सकते हैं.

2. शर्तों की प्रवर्तनीयता

2.1 सीआईबी सेवाओं का उपयोग इन नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाता है. ये नियम और शर्तें ऐक्सिस बैंक द्वारा निर्धारित ग्राहक पर लागू किसी भी अन्य नियम और शर्तों के अतिरिक्त हैं, न कि उनका उल्लंघन करती हैं.

2.2 ऐक्सिस बैंक की शिकायत निवारण पॉलिसी से जुड़े नियम और शर्तें

2.3 ऐक्सिस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से किए गए वादों, मानकों और सेवाओं से संबंधित नियम और शर्तें

2.4 प्रोडक्ट विवरण और ग्राहक सपोर्ट के मामले में हमसे संपर्क करें.

2.5 ग्राहक कम्पेंसेशन पॉलिसी

3. सेवाएं

3.1 इन नियमों और शर्तों, लागू कानूनों और ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट पर निर्दिष्ट अन्य नियमों और शर्तों के अधीन, ऐक्सिस बैंक ग्राहक को सेवाएं प्रदान करेगा. ऐक्सिस बैंक समय-समय पर सेवाओं को संशोधित करने, अपग्रेड करने और/या निलंबित करने का हकदार होगा, या सेवाओं के तरीके और सीमा को संशोधित करने का हकदार होगा, और सेवाओं में ऐसे बदलाव के बारे में ग्राहक को सूचित करने का प्रयास करेगा. ऐक्सिस बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए ग्राहक को प्रदान की गई सभी या किसी भी सेवा को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

3.2 सेवाओं का लाभ उठाने या उसके किसी भी हिस्से का लाभ उठाने या बंद करने के लिए, ग्राहक निर्धारित फॉर्मेट में ऐक्सिस बैंक में एक अलग एप्लीकेशन देगा और ग्राहक को इस उद्देश्य के लिए ऐक्सिस बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अतिरिक्त नियम और शर्तों के साथ-साथ लागू कानूनों के अधीन नियंत्रित किया जाएगा.

3.3 ऐक्सिस बैंक, ग्राहक के अनुरोध पर, किसी अन्य मौजूदा/नए खाते पर भी सेवाएं प्रदान कर सकता है, और ये नियम व शर्तें ग्राहक द्वारा सेवाओं के आगे उपयोग पर ऑटोमेटिक रूप से लागू होंगी.

3.4 ग्राहक इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि, सेवाओं में शामिल बौद्धिक संपदा अधिकार और बैंक द्वारा सेवाओं के प्रावधान के दौरान विकसित/उत्पन्न संपदा, बैंक के स्वामित्व में बने रहेंगे और पूरी तरह से बैंक के पास निहित रहेंगे और ये नियम और शर्तें किसी भी तरह से ग्राहक को बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामित्व या उपयोग के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं

3.5 अगर ग्राहक/यूज़र ने अंतिम लॉग-इन के बाद से, रजिस्टर्ड यूज़र आईडी के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए निर्धारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से 365 (तीन सौ पैंसठ) [कैलेंडर दिन] की

निरंतर अवधि के लिए कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन नहीं किया है, तो ऐक्सिस बैंक, किसी भी ग्राहक/यूज़र/यूज़र आईडी को "डोरमेंट यूज़र" के रूप में वर्गीकृत/चिह्नित/श्रेणीबद्ध कर सकता है. किसी भी ग्राहक/यूज़र/यूज़र आईडी को 'डोरमेंट यूज़र' के रूप में ऐसे वर्गीकरण/चिह्नित/श्रेणीबद्ध करने के अनुसरण में, ऐसा ग्राहक/यूज़र कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में ऐसे डोरमेंट यूज़र आईडी को दोबारा ऐक्टिवेट किए बिना संबंधित रजिस्टर्ड यूज़र आईडी से किसी भी कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवा तक पहुंचने में असमर्थ होगा. डोरमेंट यूज़र आईडी को दोबारा ऐक्टिवेट करने के लिए, संबंधित ग्राहक (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से)/यूज़र ऐक्सिस बैंक को लिखित निर्देश प्रदान कर सकते हैं और डोरमेंट यूज़र आईडी को री-ऐक्टिवेट करने का अनुरोध कर सकते हैं और री-ऐक्टिवेशन अनुरोध प्राप्त करने पर, ऐक्सिस बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, यूज़र आईडी को री-ऐक्टिवेट करने और ग्राहक/यूज़र को री-ऐक्टिवेट करने के लिए ऐसे अनुरोध को अप्रूव कर सकता है.

3.6 ग्राहक इसके द्वारा बैंक को सिंगल पेमेंट के लिए प्रदान किए गए प्राधिकरण मैट्रिक्स के आधार पर मौजूदा ग्राहकों को डिफॉल्ट रूप से थोक भुगतान और टीएफ कनेक्ट की सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है. लागू होने वाले नियम और शर्तें ग्राहक द्वारा सेवाओं के ऐसे अधिक उपयोग पर लागू होंगी.

3.7 ऐक्सिस बैंक लिमिटेड (ऐक्सिसबी) कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता है और ऐक्सिसबी पेमेंट ट्रांसफर सुविधा (एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस) से जुड़ी किसी भी बेहतर गुणवत्ता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है. यह ऐक्सिसबी द्वारा सद्भावनापूर्वक राशि के ट्रांसफर के लिए प्रदान की गई सुविधा है, जो इस धारणा पर है कि अगर पैरामीटर पूरे हो जाएं तो यह काम करेगी. ग्राहक इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि ऐक्सिसबी किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, चाहे ऐसी क्षति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी हो और चाहे कोई दावा राजस्व की हानि पर आधारित हो, ग्राहक द्वारा किए गए और ऐक्सिसबी द्वारा संसाधित किसी भी ट्रांजैक्शन की विफलता के कारण व्यवसाय में रुकावट हो, ग्राहक के खातों के संबंध में ऐक्सिसबी द्वारा प्रदान की गई या प्रकट की गई जानकारी के कारण हो या किसी भी प्रकार या प्रकृति की कोई हानि हो, और चाहे वह ग्राहक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहन की गई हो.

हालांकि, ऐक्सिसबी ग्राहक द्वारा प्रस्तावित ट्रांजैक्शन को शीघ्रता से निष्पादित और प्रोसेस करने का प्रयास करेगा, लेकिन ऑपरेशनल सिस्टम की विफलता या कानून की किसी आवश्यकता सहित किसी भी कारण से प्रतिक्रिया की कमी या प्रतिक्रिया में देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा.

उपरोक्त के बावजूद, ऐक्सिसबी ट्रांसफर सुविधा (एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस) का अवैध या अनुचित उपयोग ग्राहक को वित्तीय शुल्क या दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाएगा, जिसे

ऐक्सिसबी अपने विवेकानुसार तय कर सकता है या जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक के लिए ऐक्सिसबी भुगतान ट्रांसफर सुविधा (एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस) को निलंबित किया जा सकता है. ग्राहक इसके द्वारा ऐक्सिसबी और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों को उसके विरुद्ध शुरू किए गए किसी भी मुकदमे, कार्यवाही या उसके परिणामस्वरूप उसे हुई किसी भी हानि, लागत या क्षति के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखने के लिए भी सहमत होता है.

ऐक्सिसबी या उसकी सहायक कंपनियां या सहयोगी, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा फिशिंग और/या हैकिंग सहित किसी भी माध्यम से ऐक्सिसबी भुगतान ट्रांसफर सुविधा (एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस) के उपयोग के माध्यम से रिकॉर्ड और/या खातों/सूचना को एक्सेस के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और ग्राहक इसके द्वारा ऐक्सिसबी और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों को उसके विरुद्ध शुरू की गई किसी भी कार्रवाई, मुकदमे, कार्यवाही या उसके परिणामस्वरूप हुई किसी भी हानि, लागत या क्षति के लिए पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा. अगर ऐक्सिसबी भुगतान ट्रांसफर सुविधा (एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस) अप्रत्याशित परिस्थितियों या ऐक्सिसबी के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से वांछित तरीके से उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐक्सिसबी किसी भी परिस्थिति में ग्राहक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा.
ऐक्सिसबी भुगतान ट्रांसफर सुविधा (एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस) के उपयोग से उत्पन्न ट्रांज़ैक्शन द्वारा जनरेट किए गए ऐक्सिसबी के सभी रिकॉर्ड (इलेक्ट्रॉनिक सहित), रिकॉर्ड किए गए समय के ट्रांज़ैक्शन सहित ट्रांज़ैक्शन की वास्तविकता और सटीकता के निर्णायक प्रमाण होंगे. दोनों पक्षों की सुरक्षा के लिए, और गलतफहमियों को दूर करने के एक साधन के रूप में, ग्राहक समझता है, सहमत है और ऐक्सिसबी को अपने विवेक पर, और ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना, ग्राहक और ऐक्सिसबी और उसके किसी भी कर्मचारी या एजेंट या ग्राहक द्वारा ऐक्सिसबी को दिए गए निर्देशों के बीच किसी भी या सभी टेलीफोन बातचीत (अगर कोई हो) की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए अधिकृत करता है.
ऐक्सिसबी किसी भी प्रकार की सभी वारंटी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, चाहे वह व्यक्त हो या निहित हो या वैधानिक हो, जिसमें मर्चेंटेबिलिटी की निहित वारंटी, किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्तता, डेटा सटीकता और पूर्णता, और ऐक्सिसबी भुगतान ट्रांसफर सुविधा (एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस) में गैर-उल्लंघन से संबंधित कोई भी वारंटी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है.

4. नियम व शर्तों में संशोधन

4.1. इन नियमों और शर्तों में कहीं और निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां ऐक्सिस बैंक सेवाओं को अपग्रेड करने या बदलने या ग्राहकों को नई सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो ऐसे अपग्रेड, बदलाव और नई सेवाएं ऐक्सिस बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होंगी, और ऐक्सिस बैंक किसी भी समय इन नियमों और शर्तों में से किसी को भी बदल सकता है या पूरक कर सकता है, अगर ऐसा बदलाव आवश्यक है, तो यह बदलाव ग्राहक के लिए बाध्यकारी होगा. ऐक्सिस बैंक ऐसे बदलावों के बारे में ग्राहक को सूचित करने का प्रयास करेगा. इन नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव ग्राहक के लिए वेबसाइट/साइट पर अपडेट/अपलोड किया जाएगा, इसे ग्राहक को सूचित किया जाएगा.

5. सुरक्षा प्रक्रिया

5.1. ग्राहक, अपने जोखिम और परिणामों पर, ऐक्सिस बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करके सेवाओं को एक्सेस करेगा, जिसमें (i) यूज़र-आईडी और पासवर्ड (ii) कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को एक्सेस करने के लिए वन टच डिवाइस का उपयोग शामिल है. इसके अलावा, ऐक्सिस बैंक ग्राहक को ऐसी अन्य सुरक्षा प्रक्रिया और प्रमाणीकरण के साधनों को अपनाने की सलाह दे सकता है, जैसा कि ऐक्सिस बैंक की आवश्यकता हो सकती है, और ग्राहक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करने के लिए सहमत है.

5.2. ग्राहक और ग्राहक द्वारा अधिकृत यूज़र सभी यूज़र आईडी और पासवर्ड, ओटीपी, पासवर्ड सहित, गोपनीय और उपयोगी जानकारी को अच्छी तरह से सुरक्षित रखेंगे और उन्हें किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं बताएंगे, जिसमें ऐक्सिस बैंक के किसी भी कर्मचारी और प्रतिनिधि, विक्रेता, भागीदार भी शामिल हैं. अगर ग्राहक या यूज़र द्वारा किसी तीसरे पक्ष को पासवर्ड बताए जाने के परिणामस्वरूप ग्राहक को कोई नुकसान होता है, तो ऐक्सिस बैंक किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा.

5.3. ग्राहक को बैंक द्वारा प्रदान किए गए अनिवार्य 2 फैक्टर प्रमाणीकरण (2एफए) के माध्यम से कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग चैनल का एक्सेस दिया जाएगा. ऐक्सिस बैंक समय-समय पर अपने प्रोडक्ट ऑफर के हिस्से के रूप में एसएमएस, कॉल पर, मोबाइल पर ओटीपी, वन टच डिवाइस या ऐसे किसी भी तरीके से 2एफए प्रदान कर सकता है.

- वेब ब्राउज़र पर लॉग-इन करने या ट्रांज़ैक्शन को अप्रूव करने के लिए, ग्राहकों को ऐक्सिस मोबाइल-कॉर्पोरेट ऐप का इस्तेमाल करके एक ओटीपी जनरेट करना होगा. अगर यूज़र ने ऐक्सिस मोबाइल-कॉर्पोरेट एप्लीकेशन पर एमपिन रजिस्टर किया है और सेट-अप किया है, तो मोबाइल ऐप पर ओटीपी भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनरेट किया जा सकता है.

- ग्राहक के मोबाइल फोन नेटवर्क में किसी भी समस्या या ग्राहक के मोबाइल फोन या सिम कार्ड में किसी अन्य समस्या के कारण ट्रांज़ैक्शन में किसी भी विफलता के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं है, जिस पर बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है.
- ग्राहक के मोबाइल फोन और/या सिम कार्ड के किसी भी नुकसान या चोरी होने की स्थिति में, ग्राहक को अपने सेवा प्रदाता के पास संपर्क करके अपने मोबाइल फोन और/या सिम कार्ड को तुरंत बंद या ब्लॉक करना होगा. ग्राहक तुरंत ऐसे नुकसान या चोरी के बारे में बैंक को सूचित करेगा, जिसके बाद बैंक तुरंत कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में यूज़र एक्सेस को डीऐक्टिवेट करेगा. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में एक्सेस को ऐक्टिवेट करने के लिए यूज़र को लिखित या सत्यापित प्रोसेस के माध्यम से बैंक को सूचित करना होगा. ऐसे नुकसान या चोरी के कारण मोबाइल फोन या सिम कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा. ग्राहक को मोबाइल फोन और उसमें मौजूद डेटा, पासवर्ड और उसके उपयोग को गोपनीय रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इसे किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाए. ग्राहक मोबाइल फोन में डेटा की कॉपी या डुप्लीकेट नहीं बनाएगा या बैंक द्वारा अनुमत या आवश्यक उपयोग को छोड़कर ऐसे डेटा को सेव नहीं करेगा.
- ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक यूज़र अपने 2एफए की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा.

5.4. ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग चैनल में ट्रांज़ैक्शन और अनुरोध को एक्सेस या अप्रूव करते समय इस 2 एफए का उपयोग करना होगा.

5.5. यूज़र अपने मोबाइल डिवाइस या वन टच डिवाइस (जिसे हार्ड टोकन भी कहा जाता है) की सुरक्षित कस्टडी के लिए ज़िम्मेदार होंगे और 2एफए का उपयोग करके अपने संगठन के सदस्यों द्वारा दिए गए किसी भी और सभी निर्देश और/या ट्रांज़ैक्शन के लिए बाध्य होंगे. ऐक्सिस बैंक सुरक्षा प्रक्रिया का उपयोग करके दिए गए सभी निर्देशों को वास्तविक मानने का हकदार होगा.

5.6. मोबाइल डिवाइस को होने वाले किसी भी नुकसान या चोरी होने या खो जाने या गुम हो जाने या क्षति होने पर यूज़र के इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक रोकथाम के लिए तुरंत बैंक को सूचित किया जाना चाहिए, नहीं तो 2 एफए संबंधी धोखाधड़ी हो सकती है.

5.7. ऐक्सिस बैंक समय-समय पर उद्योग में उपलब्ध उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाने का प्रयास करेगा. साथ ही, ग्राहक स्वीकार करता है कि इंटरनेट सहित इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के साथ-साथ सार्वजनिक/शेयर की गई सुविधाओं के उपयोग में कई जोखिम के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे कि दुरुपयोग, हैकिंग, वायरस, दुर्भावनापूर्ण, विनाशकारी या करप्ट कोड, प्रोग्राम या मैक्रो, जो सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं. ऐक्सिस बैंक ऐसे जोखिमों के कारण निर्देशों, रिपोर्टिंग और/या रसीद जनरेट करने में किसी भी नुकसान, देरी या विफलता के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा.

5.8. ग्राहक ऐक्सिस बैंक की सुरक्षा नीति के अनुसार हर 90 दिनों के बाद कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर अपना पासवर्ड अपडेट करेगा. इसके लिए, यूज़र को लॉग-इन के समय 85वें दिन से 90वें दिन तक अपना लॉग-इन पासवर्ड बदलने (पूर्व सूचना) के लिए कहा जाएगा.

- 91st दिन से 180th दिन के बीच लॉग-इन जारी रखने के लिए यूज़र को अनिवार्य रूप से पासवर्ड रीसेट करना होगा.
- अगर यूज़र ने 180 दिनों में पासवर्ड नहीं बदला है, तो लॉग-इन एक्सेस अस्थायी रूप से डीऐक्टिवेट हो जाएगा. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को दोबारा ऐक्टिवेट करने के लिए ग्राहक को आरएम/शाखा से संपर्क करना होगा.

6. निर्देश

6.1. ऐक्सिस बैंक को ग्राहक से प्राप्त सभी निर्देशों को केवल कार्य दिवसों पर बैंकिंग कामकाजी घंटों के दौरान प्रोसेस किया जाएगा. ऐक्सिस बैंक द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया का उपयोग करके, इन नियमों और शर्तों में उल्लिखित तरीके से ऐक्सिस बैंक में ट्रांसमिट किए जाने पर ही कोई निर्देश स्वीकार किया जाएगा. ऐक्सिस बैंक अपने पूर्ण विवेक से, लेकिन किसी भी दायित्व के बिना, किसी निर्देश की प्रामाणिकता के संबंध में आगे की जांच कर सकता है.

6.2. ग्राहक पूरी तरह से ऐक्सिस बैंक को प्रदान किए गए निर्देशों की सटीकता और प्रामाणिकता के लिए ज़िम्मेदार है और इसके द्वारा अधिकृत किसी भी यूज़र द्वारा दिए गए किसी भी और सभी निर्देशों और/या ट्रांज़ैक्शन के लिए बाध्य होगा. ऐक्सिस बैंक ग्राहक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों पर भरोसा करने और ऐसे निर्देशों पर कार्य करने का हकदार होगा. ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत है कि किसी भी जानकारी और/या निर्देश में किसी भी गलती की स्थिति में, गलत ट्रांसफर हो सकता है. ऐसे सभी निर्देश ग्राहक के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे. ऐक्सिस बैंक को दिए गए वास्तविक निर्देशों पर किसी भी विवाद की स्थिति में, ऐक्सिस बैंक के रिकॉर्ड अंतिम और ग्राहक पर बाध्यकारी होंगे.

6.3. कोई भी निर्देश तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक ग्राहक द्वारा आगे के निर्देशों द्वारा उसे कैंसल नहीं कर दिया जाता या ऐक्सिस बैंक द्वारा उसे प्रभावी नहीं कर दिया जाता. अगर ग्राहक को किसी भी संचार में ऐक्सिस बैंक को दी गई जानकारी में कोई गलती दिखाई देती है, तो वह तुरंत ऐक्सिस बैंक को सूचित करेगा, और ऐक्सिस बैंक "उचित प्रयासों" के आधार पर जहां भी संभव हो, गलती को सुधारने का प्रयास करेगा. अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई गलती के कारण ग्राहक के खाते में गलत क्रेडिट प्राप्त होता है, तो ग्राहक ऐक्सिस बैंक को किसी भी समय गलत क्रेडिट को वापस करने के लिए अधिकृत करता है. ग्राहक इसके परिणामस्वरूप प्राप्त किसी भी

अनुचित या अन्यायपूर्ण लाभ के लिए ऐक्सिस बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा और आगे भी उत्तरदायी बना रहेगा.

6.4. अगर ऐक्सिस बैंक की राय है कि (i) उसके द्वारा प्राप्त निर्देश ग्राहक द्वारा उचित रूप से अधिकृत नहीं किया गया है; या (ii) विरोधाभासी, असंगत, अस्पष्ट, अपूर्ण, कमी वाला, किसी कानून या पॉलिसी के विपरीत है, या (iii) ऐक्सिस बैंक के पास यह मानने का कारण है कि निर्देश गैरकानूनी ट्रांजैक्शन करने के लिए जारी किया गया है; या (iv) निर्देश किसी विशेष परिस्थिति की सूचना के साथ संलग्न है, (v) खाते में अपर्याप्त राशि है या राशि उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है; ऐक्सिस बैंक (ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना) ऐसे किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने से पहले ग्राहक से स्पष्टीकरण मांग सकता है या ऐसे किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने से इनकार कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे. ऐक्सिस बैंक ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष को किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, जो किसी भी निर्देश को पूरा करने या करने से इनकार करने या उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी निर्देश को प्रभावी करने में किसी भी देरी के परिणामस्वरूप होता है.

6.5. ऐक्सिस बैंक किसी भी कारण से निर्देशों को लागू करने में किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जिसमें उसके उचित नियंत्रण से बाहर किसी भी परिस्थिति या कानून की किसी भी आवश्यकता या किसी तीसरे पक्ष, विक्रेता और/या भागीदार द्वारा किसी भी कमी के कारण शामिल हैं, चाहे इसका कारण कुछ भी हो.

6.6. अगर कोई निर्देश तब तक प्रभावी नहीं हो सकता है, जब तक कि वह अपेक्षित डॉक्यूमेंटेशन द्वारा प्रभावित न हो, तो ऐक्सिस बैंक को ऐसे निर्देश पर तब तक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि उसे ऐसे डॉक्यूमेंट प्राप्त न हो जाएं.

6.7. ऐक्सिस बैंक धन की अपर्याप्तता और/या किसी सरकारी निकाय या वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त किसी आदेश, दिशानिर्देश या निर्देश का पालन करने में अपनी विफलता से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

6.8. ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग चैनल में ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग नियम और सीमाएं बनाई जाएंगी. इंटरनेट बैंकिंग पर ट्रांज़ैक्शन शुरू करने और अप्रूवल की ज़िम्मेदारी ग्राहक की है और ऐक्सिस बैंक किसी भी अप्रत्याशित परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो सुविधा के दुरुपयोग/अनधिकृत उपयोग या यूज़र के एक्सेस क्रेडेंशियल्स के गलत उपयोग करने के कारण हुआ हो.

6.9. ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी फॉरेन करेंसी ट्रांज़ैक्शन से संबंधित किसी भी निर्देश के मामले में, ऐक्सिस बैंक द्वारा निर्धारित एक्सचेंज रेट, अगर कोई हो (चाहे इसकी वेबसाइट के माध्यम से या अन्यथा), केवल अस्थायी रूप से होंगे और एक्सचेंज रेट में भविष्य के बदलावों के अधीन होंगे. जिस रेट पर ट्रांज़ैक्शन को प्रभावी बनाया जाता है, वह सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के

लिए प्रभावी रेट होगा. ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को लागू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिसमें सीमा के बिना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए विभिन्न विनियम, और भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य सरकारी निकाय या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य नियम और विनियम शामिल हैं.

7. **इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के लिए ऐक्सिस बैंक को प्राधिकरण**

7.1. ग्राहक अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त ऐक्सिस बैंक को निर्देश देकर इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से ग्राहक द्वारा किए गए बैंकिंग या अन्य ट्रांज़ेक्शन को प्रभावित करने के लिए सेवाओं के लिए रजिस्टर्ड अपने सभी खातों तक पहुंचने के लिए अधिकृत करता है

8. **ट्रांज़ैक्शन लिमिट**

8.1. ऐक्सिस बैंक, समय-समय पर, अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम ट्रांज़ेक्शन लिमिट निर्दिष्ट कर सकता है. ग्राहक ऐक्सिस बैंक द्वारा लगाई गई ऐसी सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य होगा.

9. जानकारी में बदलाव

9.1. ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी या डॉक्यूमेंट में किसी भी बदलाव के बारे में ग्राहक द्वारा ऐक्सिस बैंक को बदलाव की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐक्सिस बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से और ग्राहक के समाधान के साथ सूचित किया जाएगा. ग्राहक को समय-समय पर अपने यूज़र की सूची को संशोधित करने, जोड़ने और/या हटाने का अधिकार होगा, इसके लिए ग्राहक को निर्णय के साथ ऐक्सिस बैंक को इस आशय का एक पत्र देना होगा. ऐसा कोई भी परिवर्तन तभी प्रभावी होगा, जब ग्राहक को ऐक्सिस बैंक द्वारा परिवर्तनों के लागू होने के बारे में सूचित किया जाएगा, और तब तक ऐक्सिस बैंक ग्राहक के किसी भी प्रतिनिधि से प्राप्त निर्देशों को स्वीकार करना और उनका पालन करना जारी रखेगा, जिनके नाम ऐक्सिस बैंक के पास उपलब्ध यूज़र्स की सूची में उल्लिखित हैं.

10. **गोपनीयता और प्रकटीकरण**

10.1. ग्राहक इसके द्वारा ऐक्सिस बैंक द्वारा ग्राहक की गोपनीय जानकारी के उपयोग और ऐक्सिस बैंक द्वारा ग्राहक से संबंधित किसी भी जानकारी को ऐक्सिस बैंक की शाखाओं, सहायक कंपनियों, प्रतिनिधि कार्यालयों, सहयोगियों, ऑडिटर्स, वेंडर्स, भागीदारों और एजेंटों को (जहां भी स्थित हो), ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के प्रावधान के संबंध में गोपनीय उपयोग के लिए ट्रांसफर करने के

लिए अधिकृत करता है, और आगे स्वीकार करता है कि ऐसी कोई भी शाखा, सहायक कंपनी, प्रतिनिधि कार्यालय, सहयोगी, वेंडर्स, भागीदार या एजेंट किसी भी कानून, अदालत, नियामक या कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित किसी भी जानकारी को ट्रांसफर करने का हकदार होगा.

11. **वारंटी का अस्वीकरण**

11.1. यहां और नियमों और शर्तों में दिए गए वारंटी के अलावा, ऐक्सिस बैंक इसके तहत प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कोई अन्य स्पष्ट या निहित वारंटी नहीं देता है, और इसके द्वारा किसी भी प्रकार की सभी वारंटियों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, चाहे वे स्पष्ट या निहित या वैधानिक हों, जिनमें सीआईबी सिस्टम / सेवाओं के परेशानी-मुक्त, समस्या-रहित, समय पर या सुरक्षित प्रदर्शन, टाइटल, संतोषजनक गुणवत्ता, मर्चेंटेबिलिटी, किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्तता, डेटा सटीकता और पूर्णता, और इंटरनेट बैंकिंग में गैर-उल्लंघन से संबंधित कोई भी वारंटी या ऐक्सिस बैंक से ग्राहक को वायरस मुक्त होने वाली किसी भी जानकारी का प्रसारण शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है.

12. सेट-ऑफ का अधिकार

12.1. ऐक्सिस बैंक के पास ग्राहक की जमा राशि, फंड या अन्य प्रॉपर्टी (चाहे वह एकल नाम में हो या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हो) के लिए बैंकर का लियन और सेट-ऑफ का अधिकार होगा, जो कि सुविधा के परिणामस्वरूप या उससे संबंधित सभी बकाया राशि की सीमा तक होगा.

13. क्षतिपूर्ति

13.1. ग्राहक इस बात से सहमत है कि ग्राहक ऐक्सिस बैंक, उसके अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों, विक्रेताओं, भागीदारों, सहयोगियों, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानि, क्षति, लागत, शुल्क और खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा, जो ऐक्सिस बैंक को किसी भी समय किसी भी सेवा को प्रदान करने के कारण या उससे उत्पन्न होने वाले या ग्राहक की ओर से किसी लापरवाही/गलती/कदाचार के परिणामस्वरूप भुगतना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है या भुगतना पड़ सकता है या ग्राहक द्वारा यहां निर्धारित किसी भी नियम और शर्त के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के कारण हो सकता है, जिसमें किसी भी सेवा से संबंधित लागू कानून और वैधानिक दिशानिर्देश शामिल हैं या ऐक्सिस बैंक द्वारा सद्भावपूर्वक ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने या कार्रवाई करने से इनकार करने के कारण होने वाले नुकसान शामिल हैं.

13.2. ग्राहक इस बात से सहमत है कि ग्राहक ऐक्सिस बैंक, उसके अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों, वेंडर्स, साझेदारों, सहयोगियों, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानि,

क्षति, लागत, शुल्क और खर्च के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें नुकसान से बचाएगा, जो ऐक्सिस बैंक को किसी भी समय ग्राहक के किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप किसी भी सरकारी निकाय, नियामक प्राधिकरण या तीसरे पक्ष द्वारा ऐक्सिस बैंक के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के कारण या उसके परिणामस्वरूप उठाना, सहना, भुगतना पड़ सकता है या देना पड़ सकता है.

14. **इंटरनेट बैंकिंग रिकॉर्ड और ट्रांज़ैक्शन की शर्तें**

14.1. ऐक्सिस बैंक ग्राहक की ओर से सत्यापन के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से ग्राहक को खाते का स्टेटमेंट जारी करेगा. ग्राहक को ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट की तिथि से 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर ऐक्सिस बैंक को निर्देश के निष्पादन में किसी भी गलती की रिपोर्ट करनी होगी. ग्राहक इस बात से सहमत है कि अगर वह उपरोक्त अवधि के भीतर गलती की रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उसे किसी निर्देश के निष्पादन की सत्यता या उसके खाते से डेबिट की गई राशि पर विवाद करने का अधिकार नहीं होगा.

14.2. निर्देशों से उत्पन्न होने वाले ट्रांज़ैक्शन से उत्पन्न ऐक्सिस बैंक के सभी रिकॉर्ड, जिसमें ट्रांज़ैक्शन दर्ज करने का समय भी शामिल है, ऐक्सिस बैंक द्वारा प्राप्त निर्देशों और परिणामी ट्रांज़ैक्शन की वास्तविकता और सटीकता का निर्णायक प्रमाण होगा.

14.3. ग्राहक इस बात पर सहमत है कि वह किसी भी कानूनी कार्यवाही में ऐक्सिस बैंक के रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने पर आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड मूल नहीं हैं, लिखित में नहीं हैं या कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट हैं.

14.4. ऐक्सिस बैंक को ग्राहक से प्राप्त सभी सूचनाओं को किसी भी सक्षम न्यायालय या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या किसी अन्य वैधानिक या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष ग्राहक के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति है.

14.5. लागू स्टाम्पिंग (जहां भी लागू हो) के साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ट्रेड पोर्टल सेवाओं में ट्रांज़ैक्शन शुरू होने की तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर क्लाइंट द्वारा संबंधित शाखा में सबमिट किए जाएंगे.

15. समाप्ति

15.1. इस खंड 15 के अधीन, ऐक्सिस बैंक 30 दिन की पूर्व सूचना के साथ किसी भी समय सभी या किसी भी सेवा को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां ऐक्सिस बैंक ने ग्राहक द्वारा नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप सभी या किसी

भी सेवा को बंद कर दिया हो या अगर उसे यूज़र की मृत्यु, दिवालियापन या कानूनी क्षमता की कमी के बारे में पता चलता है.

15.2. ग्राहक के खाता को बंद करने से सेवा समाप्त हो जाएगी.

15.3. ग्राहक इस संबंध में अन्य पक्षों को 30 दिन पहले नोटिस देकर यहां प्रदान की गई सेवाओं को कैंसल करने का हकदार है.

15.4. ऐक्सिस बैंक ऐसी समाप्ति या सेवाओं के बंद होने के कारण किसी भी प्रकार के नुकसान, क्लेम, हानि, खर्चों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

16. **अप्रत्याशित घटना**

16.1. अगर फोर्स मेज्योर (अप्रत्याशित परिस्थिति) की वजह से ऐक्सिस बैंक अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होता है, सेवा बाधित या विलंबित होती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. इस दौरान जब तक फोर्स मेज्योर की स्थिति बनी रहती है, बैंक के दायित्व स्थगित रहेंगे (हालांकि, इस प्रावधान के कारण जो मूल राशि देय होती, उस पर ब्याज की गणना और उसका बढ़ना प्रभावित नहीं होगा). "फोर्स मेज्योर इवेंट" का अर्थ है ऐक्सिस बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी भी कारण से होने वाला परिणाम, जिसमें बिना किसी सीमा के, नेटवर्क फेलियर, कंप्यूटर सिस्टम में गलतियां, स्टोरेज डिवाइस से जुड़ी प्राकृतिक आपदाएं, कानूनी प्रतिबंध या किसी अन्य कारण शामिल हैं.

17. शुल्क

17.1. ग्राहक इसके द्वारा ऐक्सिस बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवाओं पर लागू सभी शुल्कों (इसमें गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) सहित सभी लागू टैक्स शामिल नहीं होंगे और इसे ग्राहक/खाताधारक द्वारा वहन किया जाएगा) को वहन करने के लिए सहमत होता है, या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समय-समय पर सहमत दरें/शुल्क और वेबसाइट के माध्यम से या ऐक्सिस बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य माध्यम से ग्राहक को सूचित किया जाएगा. ऐक्सिस बैंक ग्राहक के खाते से ऐसे शुल्क डेबिट करने के लिए अधिकृत है.

17.2. बैंक इसके साथ ही निम्नलिखित रूप से सहमत और वचनबद्ध है

(i) बैंक द्वारा जारी किए गए चालान (अगर कोई हो) पर ग्राहक का जीएसटीआईएन अंकित होगा, जैसा कि ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया हो;

(ii) बैंक ग्राहक को किए गए सप्लाई के लिए निर्धारित फॉर्म में जीएसटीएन सामान्य पोर्टल पर इनवॉइस (अगर कोई हो) का विवरण अपलोड करेगा; और

(iii) बैंक ग्राहक को किए गए सप्लाई पर लागू जीएसटी का भुगतान करेगा और वैधानिक समय-सीमा के भीतर जीएसटी कानूनों के तहत निर्धारित जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा.

17.3. सेवा शुल्क और लागू फीस की जानकारी

18. यूज़र का दायित्व

अगर यूज़र ने शर्तों का उल्लंघन किया है या उसके लापरवाही वाले कामों के कारण हानि हुई है या नुकसान हुआ है, तो ऐक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग खातों में हुए किसी भी अनधिकृत ट्रांज़ैक्शन से होने वाली हानि के लिए केवल यूज़र उत्तरदायी होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऐक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना
- ऐक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड को किसी नाबालिग, बैंक कर्मचारी आदि के साथ शेयर करना या उसे शेयर होने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने में विफल रहना, और ऐसी जानकारी के खुलासे के बारे में उचित समय के भीतर बैंक को सूचित करने में विफल रहना.
- ऐक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग खाता में बिना इजाज़त के एक्सेस करना या गलत ट्रांज़ैक्शन के बारे में सही समय पर बैंक को न बताना.
- अगर ऐक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग की एक्सेस ऐसे किसी भी कारण से यूज़र के लिए उपलब्ध नहीं है, तो बैंक ऐसी किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें प्राकृतिक आपदा, बाढ़, आग और किसी भी प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाओं, कानूनी प्रतिबंधों, दूरसंचार नेटवर्क या इंटरनेट या नेटवर्क विफलता में गलतियां, पावर ब्रेकडाउन या यूपीएस ब्रेकडाउन, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर विफलता और/या त्रुटि या बैंक के उचित नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है. यूज़र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खाता हैकिंग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए 'साइबर से संबंधित अपराध' की परिभाषाओं में आता हो. बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे ऐसा नुकसान प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामस्वरूप हो और चाहे कोई क्लेम राजस्व, निवेश, उत्पादन, सद्भावना, लाभ, बिज़नेस में बाधा या किसी भी तरह के नुकसान पर आधारित हो और चाहे वह यूज़र को हुआ हो या किसी और को हुआ हो.

19. एमआईएस/रिपोर्ट

19.1. बैंक अपने पूर्ण विवेक पर ग्राहक को इन सुविधाओं/सेवाओं से संबंधित डेटा, विवरण और रिपोर्ट सहित अन्य जानकारी निम्न तरीके से प्रदान कर सकता हैः (क) ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट पते पर इलेक्ट्रॉनिक मेल से या (ख) एसएमएस सहित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से. क्लाइंट

यह मानता है कि ऐसी जानकारी गोपनीय प्रकृति की होगी और इस तरह के प्रसारण के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी को रोका, पढ़ा, संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है और इंटरनेट संचार के समय पर, सुरक्षित, त्रुटि या वायरस मुक्त होने की गारंटी नहीं दी जा सकती. बैंक किसी भी देरी, त्रुटि या चूक के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है और इंटरनेट पर भेजी जा रही ऐसी सूचना से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि के लिए कोई भी उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा, चाहे वह हानि बैंक या अन्य तृतीय पक्षों के कारण हुई हो.

20. न ट्रांसफर करने योग्य और न असाइन करने योग्य

20.1. ग्राहक को दी गई सेवाएं किसी भी परिस्थिति में ट्रांसफर योग्य नहीं हैं और उनका उपयोग केवल ग्राहक द्वारा ही किया जाएगा. ग्राहक सेवाओं या उसके किसी भाग से संबंधित अपने अधिकारों और/या दायित्वों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेगा. ऐक्सिस बैंक सेवाओं से संबंधित अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उप-अनुबंध कर सकता है और एजेंटों को नियुक्त कर सकता है.

21. शासकीय कानून और न्यायाधिकार

21.1. सेवाओं और इन नियमों और शर्तों का निर्माण, वैधता और प्रदर्शन सभी मामलों में भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा. पक्षकार इसके द्वारा मुंबई स्थित न्यायालयों के गैर-अनन्य क्षेत्राधिकार को प्रस्तुत करते हैं. ग्राहक को ऐक्सिस बैंक की ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं पर लॉग-इन करके या अन्यथा उन तक पहुंच बनाकर या उनका उपयोग करके उपरोक्त नियमों और शर्तों के बारे में अपनी जानकारी और स्वीकृति दर्ज करनी होगी. अगर ग्राहक उपरोक्त किसी भी नियम या शर्त से सहमत नहीं है, तो ग्राहक को वेबसाइट पर लॉग-इन करके भी किसी अन्य तरीके से ऐक्सिस बैंक की ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए.

22. जोखिम

ऐक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके, ग्राहक डिजिटल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं से जुड़े जोखिमों को समझता एवं स्वीकार करता है. ऐक्सिस बैंक मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन ग्राहक इस बात से सहमत होता है कि बैंक अपने नियंत्रण से बाहर के कारकों की वजह से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है. ग्राहक स्पष्ट रूप से निम्नलिखित संभावित जोखिमों से सहमत होता है और उन्हें स्वीकार करता है:

- **अनधिकृत एक्सेस:** अगर ग्राहक के क्रेडेंशियल से छेड़छाड़ होती है, जिसमें एम-पिन, पासवर्ड या मोबाइल डिवाइस की सुरक्षा सेटिंग शामिल हैं, तो अनधिकृत एक्सेस हो सकती है. ग्राहक इस बात से सहमत होता है कि इन क्रेडेंशियल्स की गोपनीयता बनाए रखना उनकी ही ज़िम्मेदारी है.

- **साइबर-अटैक:** ग्राहक यह स्वीकार करता है कि इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं हैकिंग, मैलवेयर, रैंसमवेयर और वायरस सहित साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील होती हैं, इनके कारण उनकी निजी और वित्तीय जानकारी के खतरे में पड़ने की संभावना होती है.
- **फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक:** संवेदनशील बैंकिंग क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए ग्राहक को फिशिंग ईमेल, धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, कॉल, मैसेज या अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों के माध्यम से टार्गेट किया जा सकता है. ग्राहक को हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए और संदिग्ध अनुरोधों का जवाब देने से बचना चाहिए.
- **मैलवेयर अटैक:** डिवाइस पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर (मैलवेयर) इंस्टॉल करने से निजी डेटा, लॉग-इन क्रेडेंशियल और ट्रांज़ैक्शन से जुड़े विवरणों में अनधिकृत एक्सेस का खतरा हो सकता है. ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके डिवाइस विश्वसनीय सुरक्षा सॉफ्टवेयर से सुरक्षित हैं और अविश्वसनीय स्रोतों के एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचना चाहिए.
- **प्रोसेसिंग त्रुटियां:** सिस्टम की गड़बड़ी, सॉफ्टवेयर बग, या मानवीय प्रविष्टियों की गलतियों के कारण, प्रोसेसिंग संबंधी त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें ट्रांज़ैक्शन विफल होना शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं. ग्राहक स्पष्ट रूप से सहमत है कि ऐसी किसी भी त्रुटियों या नुकसान के लिए ऐक्सिस बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि ऐसी गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती बैंक द्वारा न की गई हो.
- **ट्रांज़ैक्शन जोखिम:** इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए ट्रांज़ैक्शन में कभी-कभी तकनीकी समस्याओं, नेटवर्क विफलताओं, सर्वर डाउनटाइम या ट्रांज़ैक्शन प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के कारण देरी, विफलता या गलतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐक्सिस बैंक अपने उचित नियंत्रण से परे ऐसी ट्रांज़ैक्शन में आने वाली रुकावटों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
- **सुरक्षा का उल्लंघन:** मजबूत साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के बावजूद, बिना इजाज़त घुसपैठ, हैकिंग की कोशिशों या डेटा ब्रीच का जोखिम बना रहता है. ग्राहक यह स्वीकार करता है कि ऐक्सिस बैंक ऐसे किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा का किसी ऐसे तरीके से उल्लंघन होता है, जो बैंक के उचित नियंत्रण से बाहर होता है.
- **डेटा का उल्लंघन:** ग्राहक यह समझता है कि ऐक्सिस बैंक द्वारा उचित प्रयासों के बावजूद डेटा का उल्लंघन हो सकता है. ऐसे उल्लंघन से संवेदनशील निजी और वित्तीय जानकारी मिल सकती है, जिससे पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और गोपनीयता ज़ाहिर होने के जोखिम हो सकते हैं.
- **थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता:** ऐक्सिस बैंक कुछ सेवाओं के लिए तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को नियुक्त कर सकता है. ग्राहक स्वीकार करता है कि थर्ड-पार्टी प्रदाताओं पर निर्भरता के कारण थर्ड पार्टी द्वारा डेटा सुरक्षा के उल्लंघन सहित सेवाओं की विफलता जैसे जोखिम हो सकते हैं. बैंक इन थर्ड-पार्टी इकाइयों द्वारा किसी भी उल्लंघन या विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
- **सेवा की अनुपलब्धता:** समय-समय पर, निर्धारित मेंटेनेंस, सिस्टम अपडेट या अप्रत्याशित तकनीकी समस्याओं के कारण इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं. ग्राहक समझता है और यह स्वीकार

करता है कि ऐक्सिस बैंक को ऐसी अवधि के दौरान किसी भी देरी, बाधा या बैंकिंग सेवाओं को एक्सेस करने में असमर्थता के लिए जवाबदेह नहीं माना जाएगा.

- **नियामक और कानूनी जोखिम:** इंटरनेट बैंकिंग नियामक ढांचे, दिशानिर्देशों और अनुपालन आवश्यकताओं में बदलाव के अधीन है. कानून या विनियमों में बदलाव इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की कार्यक्षमता, उपलब्धता या सुरक्षा मानकों को प्रभावित कर सकते हैं. ग्राहक सहमत है कि बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में निहित इन या अन्य जोखिमों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी नुकसान के लिए ऐक्सिस बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.

23. जोखिमों को कम करने के लिए ग्राहक के दायित्व

- एप्लीकेशन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से नए वर्ज़न में अपडेट करें.
- बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन करने के लिए असुरक्षित पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करने से बचें.
- संदिग्ध या अनधिकृत गतिविधि के लिए नियमित रूप से खाता स्टेटमेंट और ट्रांज़ैक्शन अलर्ट पर निगरानी रखें.
- तुरंत ऐक्सिस बैंक को डिवाइस और/या बैंकिंग क्रेडेंशियल खोने, चोरी होने या किसी अनधिकृत पहुंच की रिपोर्ट करें.
- निजी या वित्तीय जानकारी मांगने वाले अनचाहे मैसेज का जवाब देते समय सावधानी बरतें.
- सुरक्षा बनाए रखने और संवेदनशीलता को कम करने के लिए नियमित रूप से पासवर्ड और पिन बदलें.

ऐक्सिस बैंक के उपाय:

- ऐक्सिस बैंक ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों और नियमित सुरक्षा ऑडिट सहित उन्नत सुरक्षा उपायों का उपयोग करता है. इन प्रयासों के बावजूद, ग्राहक स्वीकार करता है कि जोखिमों के खिलाफ पूरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है.
- ग्राहक सहमत है कि बैंक द्वारा प्रमाणित गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती के मामलों को छोड़कर, ऐक्सिस बैंक को ऊपर बताए गए जोखिमों या ऐक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन के उपयोग में निहित किन्हीं भी अन्य जोखिमों से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परिणामी या आकस्मिक नुकसान, क्षति, क्लेम, देयताओं या खर्चों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा.
- ऐक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन का उपयोग जारी रखकर, ग्राहक इन जोखिमों, अपने दायित्वों और ऐक्सिस बैंक की देनदारी की सीमाओं को समझने और स्वीकार करने की पुष्टि करता है.

24. सुरक्षित बैंकिंग

क्या करें और क्या न करें

- ऐक्सिस बैंक, आरबीआई या ऐसी कोई भी अन्य संस्था कभी भी आपकी निजी या बैंकिंग जानकारी मांगने के लिए कॉल, ईमेल या एसएमएस नहीं भेजती है. ऐसी धोखाधड़ी का शिकार न बनें.
- किसी भी ऐसे मैसेज/सेंडर द्वारा भेजे गए यूआरएल पर क्लिक न करें, जिसे आप नहीं जानते हैं.
- एटीएम कार्ड का उपयोग करने या शाखा में कैश संभालने के लिए अजनबी लोगों की मदद न लें और ट्रांज़ैक्शन करते समय उन्हें अपने आपको देखने न दें.
- साइबर कैफे/शेयर्ड कंप्यूटर से अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते को एक्सेस करने से बचें. अगर आप ऐसा करते हैं, तो अपने कंप्यूटर से अपने पासवर्ड बदलें.
- नियमित रूप से ट्रांज़ैक्शन अलर्ट प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपने बैंक के साथ सही मोबाइल नंबर अपडेट किया है.

सुरक्षित उपयोग के दिशानिर्देश

- अनजान ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस न दें.
- कलेक्शन अनुरोध स्वीकार करते समय, सुनिश्चित करें कि सही प्राप्तकर्ता को अप्रूव किया गया है.
- अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है, तो अपने नए मोबाइल नंबर के बारे में बैंक को सूचित करना न भूलें, ताकि आपको एसएमएस नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें.
- ज्ञात या अज्ञात स्रोतों से कॉलर ट्यून्स, डायलर ट्यून्स जैसे ऑफर स्वीकार करते समय या ईमेल अथवा अटैचमेंट खोलते/डाउनलोड करते समय सावधान रहें.
- अपने फोन/कंप्यूटर पर क्रेडिट कार्ड का विवरण, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ग्राहक आईडी आदि जैसी संवेदनशील जानकारी स्टोर न करें.
- अपना पिन नियमित रूप से बदलते रहें.
- सार्वजनिक स्थानों पर ब्लूटूथ का उपयोग करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपके गोपनीय डेटा/जानकारी को कोई भी एक्सेस कर सकता है.
- ईमेल/सोशल नेटवर्किंग साइट में दिए गए ऐसे लिंक पर क्लिक न करें, जिनमें बैंक से होने का दावा किया गया हो

25. जोखिम और ग्राहक की ज़िम्मेदारी

- बैंक ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए ग्राहक के मोबाइल नंबर और/या ईमेल एड्रेस पर अलर्ट और खाते से संबंधित जानकारी भेजेगा. यह सुनिश्चित करना ग्राहक की एकमात्र ज़िम्मेदारी है कि बैंक को प्रदान किया गया मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सही है और बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट रखा गया है.
- ग्राहक अपने डिवाइस और ईमेल खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से स्वयं ज़िम्मेदार है. ग्राहक की ओर से ऐसी संपर्क जानकारी की सटीकता या सुरक्षा बनाए रखने में या किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को सूचित करने में कोई भी विफलता, ग्राहक के एकमात्र जोखिम और देयता पर होगी. इस सुविधा का लाभ उठाना जारी रखने के लिए ग्राहक यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनका मोबाइल फोन और ईमेल आईडी ऐक्टिव रहे.

- ग्राहक स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और मानता है कि मोबाइल फोन और/या ईमेल के माध्यम से जानकारी का ट्रांसमिशन स्वाभाविक रूप से असुरक्षित है और कुछ जोखिमों के अधीन है. ऐसे जोखिमों के बावजूद, ग्राहक ने अपनी सुविधा के लिए और ऐसे जोखिमों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद, स्वैच्छिक रूप से अनुरोध किया है और बैंक को इन चैनलों के माध्यम से प्राप्त निर्देशों या संचार पर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है.
- ग्राहक जहां भी आवश्यक हो, शुद्ध, पूर्ण और सही जानकारी प्रदान करने का वचन देता है, और हर समय बैंक को सबमिट किए गए डेटा की सटीकता के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी रहेगा. ग्राहक द्वारा प्रदान की गई गलत या भ्रामक जानकारी के कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा.
- अगर ग्राहक को लगता है कि बैंक द्वारा बताई गई जानकारी में कोई त्रुटि है, तो ग्राहक तुरंत बैंक को सूचित करेगा. बैंक, सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार पर, अगर संभव हो, त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेगा.
- ग्राहक को उस मोबाइल नंबर और/या ईमेल एड्रेस में किसी भी बदलाव के बारे बिना देर किए बैंक को सूचित करना होगा, जिस पर वे अलर्ट या इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना चाहता है.
- खाते से संबंधित सभी ट्रांज़ैक्शन लागू बैंकिंग पद्धति और ग्राहक के खाते और संबंधित सेवाओं को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों, विनियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे. इसके अलावा, फोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग सेवाओं से संबंधित नियम और शर्तें, प्रासंगिक सीमा तक, मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा पर भी लागू होंगी.
- ग्राहक केवल बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता के अधीन, मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा के एक्सेस का अनुरोध कर सकता है. ग्राहक यह भी निर्धारित कर सकता है कि किस प्रकार की घटनाओं पर उन्हें अलर्ट भेजे जाएं, और यह सुविधा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित या उपलब्ध कराए गए तरीके से दी जाएगी. बैंक अपने विवेकाधिकार पर और बिना कोई कारण बताए ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है.

26. अनुलग्नक - थोक भुगतान सेवाएं (पेप्रो)

1. भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वेब आधारित भुगतान सेवा है, जिसमें बैंक के ग्राहक बैंक से अनुरोध कर सकते हैं कि वह बैंक में अपने खाते से कुछ लाभार्थियों को राशि प्रेषित करे, जैसा कि ग्राहक द्वारा बैंक को उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर उक्त ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.
2. ग्राहक बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर ऐक्सिस बैंक के विभिन्न प्रोडक्ट में सिंगल अपलोड सुविधा के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल की सेवा का लाभ उठाने का इच्छुक है और इसके लिए उसने बैंक से संपर्क किया है. बैंक ने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के तहत फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस, एनईएफटी,

आरटीजीएस, चेक प्रिंटिंग, डिमांड ड्राफ्ट प्रिंटिंग, कैश डिलीवरी कॉर चेक और कॉर डीडी जैसी सेवाएं प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो ग्राहक के खाते में उपयोग योग्य राशि की उपलब्धता के अधीन है.

3. भुगतान प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बैंक को फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक प्रिंटिंग, डिमांड ड्राफ्ट प्रिंटिंग, कॉर चेक और कॉर डीडी, कैश डिलीवरी फाइल्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाओं की प्रोसेसिंग की व्यवस्था करने में सक्षम करेगा, जिसके बाद ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से फाइल्स अपलोड करेगा.
4. अपलोड प्रोसेस के लिए विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिका ग्राहक को पालन करना होगा. उक्त प्रक्रिया से कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी.
5. ग्राहक इसके द्वारा बैंक को प्रोसेस फ्लो के अनुसार ग्राहक द्वारा अपलोड किए गए विवरणों के आधार पर चेक/डीडी प्रिंट करने और/या आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर/आईएमपीएस ट्रांज़ैक्शन करने के लिए अधिकृत करता है. ग्राहक यह वचन देता है कि वह इंटरनेट या किसी अन्य सूचना तकनीक प्रणाली से संबंधित किसी भी विफलता या देरी के लिए बैंक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएगा, बशर्ते कि ऐसी विफलता बैंक की घोर और जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण न हो.
6. चेक प्रिंटिंग के लिए ग्राहक के अनुरोधों के संबंध में, ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत है कि बैंक केवल उन इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार करेगा, जिन्हें बैंक द्वारा उक्त विशिष्ट खाता के तहत प्रिंट किया गया है. पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि बैंक ग्राहक से प्राप्त फैक्सिमाइल हस्ताक्षरों के आधार पर इंट्रूमेंट्स को स्वीकार करेगा, बशर्ते कि ग्राहक ने बैंक को इसका एक सैंपल उपलब्ध कराया हो और यह ग्राहक द्वारा बैंक को दिए गए बोर्ड के निर्णय के अनुसार हो. फैक्सिमाइल हस्ताक्षरों के आधार पर डॉक्यूमेंट की स्वीकृति बैंक द्वारा पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम और ज़िम्मेदारी पर किया जाएगा. ग्राहक इस बात पर भी सहमत है कि इस एग्रीमेंट के अंतर्गत प्रस्तावित व्यवस्था के बाहर शाखाओं में प्रस्तुत सभी चेक बिना भुगतान के वापस कर दिए जाएंगे और बैंक ऐसे लौटाए गए उपकरणों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा. ग्राहक इस बात से भी सहमत है कि चेक, डीडी, सीआरआर चेक, सीआरआर डीडी बैंक द्वारा प्रिंट हो जाने के बाद, उन्हें कूरियर सेवा या पोस्ट के माध्यम से ग्राहक को हैंड-डिलीवर या डिस्पैच किया जाएगा. यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि ऐसा डिस्पैच ग्राहक के एकमात्र जोखिम और ज़िम्मेदारी पर होगा और उक्त कूरियर सेवा/पोस्ट इस नियम व शर्तों के उद्देश्यों के लिए ग्राहक का एजेंट माना जाएगा.

7. ग्राहक यह वचन देता है कि डेटा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जाएगा और ग्राहक इस प्राधिकरण को प्रमाणित करने वाले बोर्ड निर्णय की एक प्रति बैंक को प्रस्तुत करेगा. बैंक में खोले गए खातों में प्राधिकरण देने वालों के हस्ताक्षर भी दर्ज किए जाएंगे.
8. इन नियमों और शर्तों में बैंक के विरुद्ध कोई निहित कर्तव्य या दायित्व नहीं पढ़ा जाएगा या पढ़ा हुआ समझा जाएगा. उपरोक्त अनुसार फंड भेजने के दायित्व के अलावा, ग्राहक और/या लाभार्थी के बीच निष्पादित किसी भी एग्रीमेंट, व्यवस्था या समझ के प्रावधान बैंक को बाध्य नहीं करेंगे.
9. बैंक को बिना उन अनुरोधों की प्रामाणिकता और/या वैधता और/या प्राधिकरण की जांच किए भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पर उपरोक्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जो बैंक को उपरोक्त साइट पर प्राप्त होंगे और ऐसे अनुरोधों को ग्राहक द्वारा प्रामाणिक, वैध और विधिवत अधिकृत माना जाएगा. ग्राहक इस बात से सहमत है कि ग्राहक भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के माध्यम से ग्राहक द्वारा बैंक को दिए गए उपरोक्त अनुरोधों से अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त बाध्य होगा और ग्राहक द्वारा उपरोक्त साइट पर भेजे गए ऐसे किसी भी अनुरोध की प्रामाणिकता, वैधता या अधिकृतता पर विवाद करने का हकदार नहीं होगा.
10. ग्राहक यह वचन देता है कि उसे प्रदान की गई वेब सुविधा का उपयोग बैंक द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा.
11. ग्राहक को निष्पादित ट्रांज़ैक्शन का विवरण प्राप्त होगा और अपलोड किए गए डेटा के साथ लिस्ट की जांच करना ग्राहक का दायित्व होगा.
12. अगर ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन और रीसेट सुविधा (केवल बल्क अपलोड सुविधा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए) का लाभ उठाया जाता है, तो यह समझ लिया जाता है कि बैंक पासवर्ड भेजने के लिए दी गई इस जानकारी को रजिस्टर करेगा. किसी भी यूज़र के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या टोकन में कोई भी बदलाव होने पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लेटर हेड में बैंक को सूचित किया जाएगा. रजिस्टर्ड सूचना में बदलाव के लिए बैंक को देर से सूचना देने या कोई सूचना न देने की स्थिति में ग्राहक बैंक की कार्रवाई पर बैंक को क्षतिपूर्ति देगा.

<u>ग्राहक की ओर से फाइल अपलोड करने के लिए प्रोसेस फ्लो.</u>

1. क्लाइंट द्वारा सीधे पूर्वनिर्धारित परस्पर सहमत फॉर्मेट में भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पर डेटा अपलोड किया जाएगा. प्रत्येक कॉर्पोरेट को एक से अधिक प्रोडक्ट असाइन किया जा सकता है. अगर ग्राहक चाहें तो वे विभिन्न प्रोडक्ट से संबंधित डेटा को एक ही फाइल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं.

2. कॉर्पोरेट्स डेटा अपलोडिंग के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म के वेब इंटरफेस पर लॉग-इन करके इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी डेटा अपलोड कर सकते हैं. भुगतान प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए कॉर्पोरेट को लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा.
3. ऐक्सिस बैंक एडमिन के पास कॉर्पोरेट यूज़र्स को परिभाषित करने और मास्टर से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने का अधिकार होगा. आवश्यकता के अनुसार, उसी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए कॉर्पोरेट्स को समान अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं, बशर्ते आवश्यक प्राधिकरण मांगा गया हो और आवश्यक डॉक्यूमेंट बैंक को जमा किए गए हों.
4. डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा अपलोड और ऑथोराइज़ेशन के लिए एक मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होगा.
5. कॉर्पोरेट निर्धारित ऑथोराइज़ेशन मैट्रिक्स के अनुसार फाइल को अधिकृत/अस्वीकार कर सकता है. प्राधिकरण यह जांचने के लिए किया जाता है कि लॉग-इन यूज़र के पास चयनित फाइल अपलोड करने का अधिकार है या नहीं.
6. बुनियादी सत्यापन किए जाएंगे. निम्नलिखित पॉइंट चेक किए जाएंगे:
   a) एक ही नाम वाली फाइल को एक से अधिक बार अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
   b) एक ही ट्रांज़ैक्शन को एक से अधिक बार अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बशर्ते कि ग्राहक द्वारा प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन के लिए विशिष्ट संख्या प्रदान की गई हो.
   c) कॉर्पोरेट आईडी और कॉर्पोरेट फॉर्मेट और प्रोडक्ट आईडी का सत्यापन.
   d) अपलोड की गई फाइल में भुगतान करने के लिए आवश्यक अनिवार्य फील्ड चेक करें.
   e) डेटा फाइल में सिंगल फील्ड के लिए फील्ड का प्रकार और फील्ड की लंबाई चेक करें, जो सेंट्रल डेटाबेस फॉर्मेट में निर्दिष्ट है.
7. विभिन्न कारणों से किसी फाइल के अस्वीकृत होने की स्थिति में, सिस्टम अस्वीकृति के कारणों को सामने प्रदर्शित करेगा, जिसे ग्राहक द्वारा सुधारा जा सकता है और संशोधित डेटा को दोबारा अपलोड किया जा सकता है.
8. अपलोड किए गए कॉर्पोरेट डेटा में कॉर्पोरेट खाता नंबर होगा. अगर अपलोड किए गए कॉर्पोरेट डेटा में खाता नंबर मौजूद नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू का उपयोग किया जाएगा, जिसे कॉर्पोरेट मास्टर टेबल से पिक-अप किया जाएगा.
9. अगर कॉरपोरेट द्वारा यथोचित रूप से अधिकृत किया गया है, तो भुगतान मोड के लिए कटऑफ समय से पहले अधिकृत फाइल्स को बैंक द्वारा प्रोसेस किया जाएगा यानी डायरेक्ट क्रेडिट से संबंधित ट्रांज़ैक्शन को भुगतान फाइल में निर्दिष्ट लाभार्थी खाता संख्या के आधार पर मूल रूप से निष्पादित किया जाएगा और आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस/नकद वितरण

ट्रांज़ैक्शन को मूल रूप से निष्पादित किया जाएगा.

10. व्यवस्था के अनुसार, ग्राहक चेक/डिमांड ड्राफ्ट/सीओआरआर डीडी से संबंधित डेटा या तो बैंक या ग्राहक की रिमोट शाखा द्वारा प्रिंट किया जाएगा. बैंक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से उक्त नेटवर्क के कामकाज में किसी भी तरह की खराबी और/या ब्रेक-डाउन की स्थिति में, मुझे/हमें दिए गए लाभ और सुविधाएं ऐसी ब्रेक-डाउन के दौरान निलंबित हो जाएंगी और इस स्थिति में बैंक किसी भी तरह से किसी भी क्षति/मुआवजे और/या ऐसे निलंबन से उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य परिणाम के लिए मेरे/हमारे प्रति उत्तरदायी और/या ज़िम्मेदार नहीं होगा.

27. अनुलग्नक - होस्ट से होस्ट भुगतान

1. भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वेब आधारित भुगतान सेवा है, जिसमें बैंक के ग्राहक बैंक से अनुरोध कर सकते हैं कि वह बैंक में अपने खाते से कुछ लाभार्थियों को राशि प्रेषित करे, जैसा कि ग्राहक द्वारा बैंक को उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर उक्त ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.
2. ग्राहक, ऐक्सिस बैंक के विभिन्न उत्पादों के लिए होस्ट टू होस्ट सेवा के तहत पेमेंट प्लेटफॉर्म मॉड्यूल सेवा प्राप्त कर सकता है, जो कि बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन होगी, और इसके लिए वह बैंक से संपर्क कर सकता है. बैंक ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है, जैसे फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, सेलरी और वैधानिक भुगतान.
3. ग्राहक के खाते में उपयोग हेतु राशि की उपलब्धता के अधीन, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के तहत चेक प्रिंटिंग, डिमांड ड्राफ्ट प्रिंटिंग, कॉर चेक और कॉर डीडी का लाभ उठाया जा सकता है.
4. भुगतान प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बैंक को फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक प्रिंटिंग, डिमांड ड्राफ्ट प्रिंटिंग, कॉर चेक और कॉर डीडी, फाइलों और सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाओं की प्रोसेसिंग की व्यवस्था करने में सक्षम करेगा, इसके बाद ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से फाइल अपलोड करेगा.
5. अपलोड प्रोसेस के लिए विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिका ग्राहक को पालन करना होगा. उक्त प्रक्रिया से कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी.

होस्ट से होस्ट प्रोसेस के लिए प्रोसेस फ्लो:

I. ग्राहक ईआरपी/सॉफ्टवेयर ऐक्सिस बैंक के साथ सहमत फॉर्मेट के अनुसार भुगतान ट्रांज़ैक्शन जनरेट करेगा.

II. भुगतान ट्रांज़ैक्शन ऐक्सिस बैंक को सहमत होस्ट टू होस्ट (एच2एच) एकीकरण प्रक्रिया के अनुसार एन्क्रिप्टेड प्रक्रिया के माध्यम से भेजा जाएगा.

III. ग्राहक द्वारा आवश्यक ऑथोराइज़ेशन के लिए ऐक्सिस बैंक पोर्टल पर मान्य भुगतान अनुरोध उपलब्ध होंगे.

IV. अधिकृत भुगतान ट्रांज़ैक्शन को बैंक की ओर से फंड ट्रांसफर के रूप में या ट्रांज़ैक्शन विवरण के अनुसार आरबीआई/एनपीसीआई के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा.

V. ट्रांज़ैक्शन की स्थिति/एमआईएस/रिपोर्ट एच2एच एकीकरण के माध्यम से ग्राहक ईआरपी/सॉफ्टवेयर पर ऑटोमेटिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी

6. ग्राहक इसके द्वारा बैंक को प्रोसेस फ्लो के अनुसार ग्राहक द्वारा अपलोड किए गए विवरण के आधार पर चेक/डीडी प्रिंट करने और/या आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर ट्रांज़ैक्शन को पूरा करने के लिए अधिकृत करता है. ग्राहक यह वचन देता है कि वह इंटरनेट या किसी अन्य सूचना तकनीक प्रणाली से संबंधित किसी भी विफलता या देरी के लिए बैंक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएगा, बशर्ते कि ऐसी विफलता बैंक की घोर और जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण न हो.

7. चेक प्रिंटिंग के लिए ग्राहक के अनुरोधों के संबंध में, ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत है कि बैंक केवल उन इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार करेगा, जिन्हें बैंक द्वारा उक्त विशिष्ट खाता के तहत प्रिंट किया गया है. पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि बैंक ग्राहक से प्राप्त प्रतिकृति हस्ताक्षरों के आधार पर इंट्रूमेंट्स को स्वीकार करेगा, बशर्ते कि ग्राहक ने बैंक को इसका एक सैंपल उपलब्ध कराया हो और यह ग्राहक द्वारा बैंक को दिए गए बोर्ड के निर्णय के अनुसार हो. फैक्सिमाइल हस्ताक्षरों के आधार पर डॉक्यूमेंट की स्वीकृति बैंक द्वारा पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम और ज़िम्मेदारी पर किया जाएगा. ग्राहक इस बात पर भी सहमत है कि इस एग्रीमेंट के अंतर्गत प्रस्तावित व्यवस्था के बाहर शाखाओं में प्रस्तुत सभी चेक बिना भुगतान के वापस कर दिए जाएंगे और बैंक ऐसे लौटाए गए उपकरणों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा. ग्राहक इस बात से भी सहमत है कि चेक, डीडी, सीआरआर चेक, सीआरआर डीडी बैंक द्वारा प्रिंट होने के बाद, उन्हें कूरियर सेवा या पोस्ट के माध्यम से ग्राहक को हैंड-डिलीवर या डिस्पैच किया जाएगा. यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि ऐसा डिस्पैच ग्राहक के एकमात्र जोखिम और ज़िम्मेदारी पर होगा और उक्त कूरियर सेवा/पोस्ट इस नियम व शर्तों के उद्देश्यों के लिए ग्राहक का एजेंट माना जाएगा.

8. ग्राहक यह वचन देता है कि डेटा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जाएगा और ग्राहक इस प्राधिकरण को प्रमाणित करने वाले बोर्ड निर्णय की एक प्रति बैंक को प्रस्तुत करेगा. बैंक में खोले गए खातों में प्राधिकरण देने वालों के हस्ताक्षर भी दर्ज किए जाएंगे.

9. इन नियमों और शर्तों में बैंक के विरुद्ध कोई निहित कर्तव्य या दायित्व नहीं पढ़ा जाएगा या पढ़ा हुआ समझा जाएगा. उपरोक्त अनुसार फंड भेजने के दायित्व के अलावा, ग्राहक और/या लाभार्थी के बीच निष्पादित किसी भी एग्रीमेंट, व्यवस्था या समझ के प्रावधान बैंक को बाध्य नहीं करेंगे.
10. बैंक को बिना उन अनुरोधों की प्रामाणिकता और/या वैधता और/या प्राधिकरण की जांच किए भुगतान प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पर उपरोक्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जो बैंक को उपरोक्त साइट पर प्राप्त होंगे और ऐसे अनुरोधों को ग्राहक द्वारा प्रामाणिक, वैध और विधिवत अधिकृत माना जाएगा. ग्राहक सहमत है कि होस्ट टू होस्ट सेवा के माध्यम से बैंक को दिए गए उपरोक्त अनुरोधों के लिए वह बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बाध्य रहेगा, और ऐसे किसी भी अनुरोध की प्रामाणिकता, वैधता या प्राधिकरण को जो उपरोक्त साइट पर ग्राहक द्वारा भेजे गए प्रतीत होते हैं, ग्राहक विवादित करने का अधिकार नहीं रखेगा.
11. ग्राहक यह वचन देता है कि उसे प्रदान की गई होस्ट-टू-होस्ट सेवा सहित वेब सुविधा का उपयोग बैंक द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा.
12. ग्राहक को रिवर्स फीड या अन्य माध्यम से निष्पादित ट्रांज़ैक्शन का विवरण प्राप्त होगा और ग्राहक का दायित्व होगा कि वह सूची को ट्रांज़ैक्शन डेटा के साथ क्रॉस चेक करे.
13. अगर ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन और रीसेट सुविधा का लाभ उठाया जाता है, तो यह समझ लिया जाता है कि बैंक पासवर्ड भेजने के लिए दी गई इस जानकारी को रजिस्टर करेगा. किसी भी यूज़र के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या टोकन में कोई भी बदलाव होने पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लेटर हेड में बैंक को सूचित किया जाएगा. रजिस्टर्ड सूचना में बदलाव के लिए बैंक को देर से सूचना देने या कोई सूचना न देने की स्थिति में ग्राहक बैंक की कार्रवाई पर बैंक को क्षतिपूर्ति देगा.
14. ग्राहक व्यवस्था के तहत प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्षति, दुरुपयोग, अनधिकृत पहुंच और चोरी से सुरक्षित रखने के लिए सहमत है.
15. किसी भी प्रकार के बदलाव के मामले में, ग्राहक परस्पर सहमति के अनुसार ऐसे समय के भीतर बैंक को सूचित करेगा.
16. ग्राहक बैंक के अधिकारियों और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को अपने परिसर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तैनाती, प्रतिस्थापन और आवधिक रखरखाव के लिए अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देने के लिए सहमत है, ताकि बैंक और ग्राहक के सिस्टम के बीच डेटा का आदान-प्रदान पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर हो सके.
17. इस सेवा को बंद करने की स्थिति में, बैंक इस व्यवस्था के तहत ग्राहक को बैंक द्वारा प्रदान किए गए सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वापस लेगा.
18. इस सेवा के बंद होने की स्थिति में, ग्राहक बैंक या उसके प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक के हार्डवेयर सिस्टम में लगाए गए सभी सॉफ्टवेयर को तुरंत और स्थायी रूप से नष्ट करने, सॉफ्टवेयर और

डॉक्यूमेंट वाले सभी मीडिया को बैंक को वापस करने के लिए सहमत होता है, जो इस व्यवस्था के तहत बैंक द्वारा प्रदान किए गए हैं.

19. ग्राहक इस बात से सहमत है और कन्फर्म करता है कि, बैंक एच2एच ट्रांज़ैक्शन को प्री-अप्रूव्ड ट्रांज़ैक्शन के रूप में प्रोसेस करेगा, अर्थात ग्राहक के ईआरपी/एप्लीकेशन से भुगतान शुरू होने के बाद, ग्राहक के निर्देशों के आधार पर और एक बार ऐसे प्री-अप्रूव्ड ट्रांज़ैक्शन के लिए प्रोसेसिंग से निर्देश प्राप्त होने के बाद, इसे बिना किसी अतिरिक्त प्राधिकरण के 'सीधे ग्राहक द्वारा' के रूप में प्रोसेस किया जाएगा. ऐसे मामले में, ग्राहक किसी भी तरह से बैंक को ग्राहक को हुई किसी भी हानि/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, क्योंकि बैंक ने ग्राहक के निर्देशों के आधार पर सद्भावपूर्वक कार्रवाई की है.

28. **अनुलग्नक - सेवा अनुरोध**

1. **मोबाइल नंबर अपडेशन:** खाते से संबंधित किसी भी संचार के साथ-साथ ट्रांज़ैक्शन संबंधी सूचना भेजने के लिए मोबाइल नंबर को बैंक रिकॉर्ड में अपडेट किया जा सकता है. मैं बैंक द्वारा उचित समझे गए किसी भी ट्रांज़ैक्शन की सत्यता को कन्फर्म करने के लिए, सत्यापन करने के लिए, कॉल बैक या चेक करने के लिए अपडेटेड नंबर पर मुझसे संपर्क करने के लिए भी सहमत हूं. मैं कन्फर्म करता/करती हूं कि मोबाइल नंबर मेरे पास है और इसका उपयोग किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा नहीं किया जाता है. मैं वचन देता/देती हूं कि अगर और जब मोबाइल नंबर बदल दिया जाएगा, तो मैं बैंक को विधिवत और तुरंत सूचित करूंगा/करूंगी.
2. **स्कीम कोड कन्वर्ज़न:** हमने चुने गए नए स्कीम कोड से जुड़ी विशेषताओं और शुल्क संरचना को पढ़ा और समझ लिया है और यह अगले शुल्क चक्र से लागू होगा, जो बाद के महीने की 1 तारीख से लागू होगा.
3. **ईमेल आईडी अपडेट करना:** ईमेल आईडी खाता लेवल पर अपडेट की जा सकती है. बैंक से खाता स्टेटमेंट और सूचनाएं इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे. ईमेल आईडी को अपडेट करने के आधार पर, फिज़िकल स्टेटमेंट बंद कर दिया जाएगा.
4. **चेक बुक अनुरोध:** मैं लागू चेक बुक शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूं और यह मेरे खाता से काटा जाएगा
5. **चेक का भुगतान रोकें:** सिंगल चेक रोकने के लिए, चेक चुनें और भुगतान रोकने के लिए चेक नंबर दर्ज करें. रेंज में कई चेक बंद करने के लिए, "सिंगल चेक" चुनें और चेक की रेंज दर्ज करें, जिसे आप रोकना चाहते हैं. अगर आपको चेक नंबर याद नहीं है, तो "चेक नंबर खोजें और भुगतान रोकें" चुनें. कृपया ध्यान दें कि सबमिट होने के बाद आपका अनुरोध तुरंत प्रोसेस किया जाएगा.
6. **जीएसटीआईएन अपडेट करना:**

1. मैं/हम ऐक्सिस बैंक लिमिटेड ("बैंक") को अपनी/हमारी स्पष्ट सहमति प्रदान करते हैं और अधिकृत करते हैं:

   a. बैंक मेरे/हमारे पैन नंबर का उपयोग, एक्सेस, प्रोसेस और स्टोरेज कर सकता है और वह इसे बैंक द्वारा नियुक्त एक सेवा प्रदाता के रूप में कर्ज़ा टेक्नोलॉज़ीज़ प्राइवेट लिमिटेड ("कर्ज़ा") के साथ शेयर कर सकता है, ताकि कर्ज़ा मेरे/हमारे जीएसटी पोर्टल से मेरा/हमारा जीएसटीआईएन नंबर, जीएसटीआईएन स्थिति, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पता ("जीएसटीआईएन डेटा") प्राप्त कर सके और इस जीएसटीआईएन डेटा को बैंक एवं उसकी समूह सहायक कंपनियों के साथ शेयर, ट्रांसफर और प्रकट कर सके, और

b. बैंक और इसकी समूह सहायक कंपनियों को यह अधिकार है कि वे जीएसटीआईएन डेटा का उपयोग, एक्सेस, प्रोसेस, स्टोरेज, सत्यापन, प्रोफाइलिंग, विश्लेषण करने, शेयर करने, ट्रांसफर करने और प्रकटीकरण सहित निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं- [बैंक और उसकी समूह कंपनियों के प्रोडक्ट और सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी, मूल्यांकन और सुधार के लिए; क्रेडिट मूल्यांकन, क्रेडिट ब्यूरो जांच, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल और व्यापार रणनीतियों के विकास के लिए; धोखाधड़ी की पहचान और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक दायित्वों के पालन हेतु; और जीएसटीआईएन डेटा को क्रेडिट सूचना कंपनियों, सूचना उपयोगिताओं, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों, तथा नियामक संस्थाओं, जांच एजेंसियों, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और वैधानिक प्राधिकरणों के साथ साझा और प्रकटीकरण करने के लिए].

2. मैं/हम किसी भी तरह से जीएसटीआईएन डेटा के कर्ज़ा द्वारा किसी भी उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए बैंक को उत्तरदायी या ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे और मैं/हम सहमत हैं, कन्फर्म करते हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक किसी भी तरह से कर्ज़ा द्वारा मेरे/हमारे जीएसटीआईएन डेटा के उपयोग का ऑडिट, निगरानी, समीक्षा और आकलन करने के लिए बाध्य नहीं है.

7. आईई कोड अपडेट करना:

1. मैं/हम ऐक्सिस बैंक लिमिटेड ("बैंक") को अपनी/हमारी स्पष्ट सहमति प्रदान करते हैं और अधिकृत करते हैं:

   (a) बैंक मेरे/हमारे आईईसी नंबर (आईईसी नंबर) का उपयोग, एक्सेस, प्रोसेस और स्टोरेज कर सकता है और वह इसे बैंक द्वारा नियुक्त एक सेवा प्रदाता के रूप में जोकाटा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड टेक्नोलॉज़ीज़ (“जोकाटा”) के साथ शेयर कर सकता है, ताकि जोकाटा मेरे/हमारे डीजीएफटी पोर्टल से मेरा/हमारा आईईसी नंबर और आईईसी स्थिति प्राप्त कर सके, और इस आईईसी डेटा को बैंक और उसकी समूह सहायक कंपनियों के साथ शेयर, ट्रांसफर और प्रकट कर सके, और

   (b) बैंक और इसकी समूह सहायक कंपनियों को यह अनुमति है कि वे आईईसी डेटा का उपयोग, एक्सेस, प्रोसेस, स्टोर, सत्यापन, प्रोफाइलिंग, विश्लेषण करने, शेयर

करने, ट्रांसफर और प्रकटीकरण सहित निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं- [बैंक और उसकी समूह कंपनियों के प्रोडक्ट व सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी, मूल्यांकन और सुधार के लिए; क्रेडिट मूल्यांकन, क्रेडिट ब्यूरो जांच, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल और व्यापार रणनीतियों के विकास के लिए; धोखाधड़ी की पहचान और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक दायित्वों के पालन हेतु; और साथ ही क्रेडिट सूचना कंपनियों, सूचना उपयोगिताओं, अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, नियामक संस्थाओं, जांच एजेंसियों, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और वैधानिक प्राधिकरणों के साथ आईईसी डेटा शेयर करने और प्रकटीकरण के लिए].

2. मैं/हम बैंक को किसी भी प्रकार से जोकाटा द्वारा आईईसी डेटा के दुरुपयोग या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे और मैं/हम यह स्वीकार करते हैं, कन्फर्म करते हैं और सहमत हैं कि बैंक जोकाटा द्वारा मेरे/हमारे आईईसी डेटा के उपयोग की जांच, निगरानी, समीक्षा या मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं है.

8. **टीओडी (अस्थायी ओवर ड्राफ्ट)**

हम कन्फर्म करते हैं कि जारी की गई ओवरड्राफ्ट राशि का उपयोग केवल उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा, न कि मध्यस्थता, व्यक्तिगत व्यापार, गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों/म्यूचुअल फंड/डिबेंचर में निवेश के लिए किया जाएगा और हम वचन देते हैं कि उपरोक्त ओवरड्राफ्ट को ऊपर उल्लिखित दिन पर नियमित किया जाएगा. इसके अलावा हम बैंक को क्षतिपूर्ति करने और भुगतान और/या संस्थागत ट्रेडों के विरुद्ध टीओडी की अनुमति देने के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाली किसी भी हानि/जोखिम/क्षति के प्रति उसे हानिरहित रखने का वचन देते हैं. हम समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम उधार दर पर ब्याज के साथ ऐसी हानि/जोखिम/क्षति की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व लेते हैं और आपकी मांग पर जहां भी लागू हो, बकाया ब्याज भी देने का वचन देते हैं. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया भुगतान के विरुद्ध टीओडी के मामले में सेटलमेंट खाते से या बैंक के प्रति टीओडी दायित्व की पूर्ति में किसी कमी के मामले में बैंक में रखे गए कंपनी के किसी भी खाते से फंड ट्रांसफर के लिए हमारे अपरिवर्तनीय प्राधिकरण को स्वीकार करें. ट्रांसफर केवल खाता होल्डर के जोखिम और परिणाम पर किया जाएगा. हम समय-समय पर लागू होने वाले बैंक के नियमों का पालन करेंगे. अगर कोई शुल्क हो तो आप उसे अपने बैंक खाते में रखे गए हमारे निर्दिष्ट खाते से डेबिट कर सकते हैं. हम समझते हैं कि उक्त सुविधा बैंक द्वारा समय-समय पर लगाए गए दर पर प्रदान की जाएगी.

29. ऐक्सिस मोबाइल कॉर्पोरेट पर एम-पिन के साथ लॉग-इन करें

रजिस्ट्रेशन:

मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान यूज़र को एमपिन सेट करने के लिए कहा जाएगा और यूज़र को अपने जोखिम और परिणामों पर जितनी बार संभव हो, एमपिन बदलने की स्वतंत्रता है. यूज़र बदले गए एमपिन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और अधिकृत यूज़र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त एमपिन के दुरुपयोग के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा.

मोबाइल बैंकिंग सुविधा के दुरुपयोग/अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप यूज़र को होने वाले किसी भी नुकसान के संबंध में बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.

अगर यूज़र एमपिन भूल जाता है, तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में नया एमपिन रीसेट करने की सुविधा है

ऐक्सिस बैंक ने मोबाइल फोन नंबर के सत्यापन और/या एमपिन के सत्यापन के माध्यम से ग्राहक के प्रमाणीकरण का तरीका अपनाया है, जैसा कि ऐक्सिस बैंक के विवेक पर निर्धारित किया जा सकता है

अनधिकृत एक्सेस और/या ऊपर दिए गए प्रमाणीकरण मोड का उपयोग करने से ग्राहक के खाते की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इसलिए, सत्यापन के तरीकों के उपयोग से संबंधित किसी भी कानूनी जोखिम से बचने के लिए, ग्राहक को मोबाइल फोन नंबर, एमपिन या सत्यापन के किसी अन्य तरीके जैसे प्रमाणीकरण मापदंडों की पूर्ण गोपनीयता, निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, जैसा कि ऐक्सिस बैंक के विवेक पर निर्धारित किया जा सकता है.

पात्रता:

ऐक्सिस मोबाइल कॉर्पोरेट के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं - उन यूज़र के लिए उपलब्ध होंगी, जो भारतीय नागरिक हैं और रजिस्ट्रेशन की तिथि पर 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो इस शर्त के अधीन हैं कि वह ऐक्सिस मोबाइल कॉर्पोरेट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इसे सफलतापूर्वक इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद लागू क्रेडेंशियल के साथ खुद को प्रमाणित करते हैं और अपना एमपिन सेट करते हैं

यूज़र की देयताएं और उत्तरदायित्व:

1. उक्त सेवाओं के उपयोग के लिए यूज़र अपने मोबाइल फोन और एमपिन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा.
2. यूज़र उपरोक्त एमपिन या ऐक्सिस मोबाइल कॉर्पोरेट पर प्रदान किए गए क्रेडेंशियल्स के किसी भी प्रकार के अनधिकृत या गैरकानूनी उपयोग या किए गए किसी भी धोखाधड़ी या दिए गए गलत

निर्देश और इस प्रकार किए गए किसी भी वित्तीय शुल्क के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा, जो केवल यूज़र द्वारा देय होगा.

3. यूज़र स्वीकार करता है कि उक्त सेवाओं के उद्देश्यों के लिए, मान्य एमपिन के साथ यूज़र द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर से होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन को यूज़र द्वारा अपने विवेकानुसार शुरू किया गया माना जाएगा

सेवा की अन्य शर्तें:

1. यूज़र एमपिन/ओटीपी/कोड/पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने और ऐसे एमपिन/ओटीपी/पासकोड/पासवर्ड के उपयोग या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा.
2. यूज़र लापरवाही से की गई कार्रवाई या ऐक्सिस मोबाइल - कॉर्पोरेट एप्लीकेशन में उसकी ओर से किए गए किसी भी अनधिकृत उपयोग / एक्सेस या एमपिन / ओटीपी / पासकोड / पासवर्ड के दुरुपयोग या सेवाओं के संबंध में सुरक्षा के किसी अन्य उल्लंघन के बारे में उचित समय के भीतर ऐक्सिस बैंक को तुरंत सूचित करने में उसकी ओर से विफलता के कारण होने वाले सभी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके बारे में उसे जानकारी है.
3. यूज़र कन्फर्म करता है कि, उसके द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उसके द्वारा उपयोग किए गए प्रामाणिक एमपिन/ओटीपी/पासकोड/पासवर्ड के सत्यापन के बाद ही प्रभावी होंगे

डिस्क्लेमर: यूज़र के एमपिन, पासवर्ड, पासकोड, ओटीपी या मोबाइल फोन या मोबाइल फोन नंबर के उपयोग द्वारा दिए गए किसी भी धोखाधड़ी, डुप्लिकेट या गलत ट्रांजैक्शन निर्देशों के लिए यूज़र के एमपिन, पासवर्ड, पासकोड, ओटीपी या मोबाइल फोन या मोबाइल फोन नंबर का कोई अनधिकृत उपयोग होने की स्थिति में ऐक्सिस बैंक किसी भी दायित्व से मुक्त होगा.

30. एफएक्स एंड मार्केट्स

नियम व शर्तें

31. फिक्स्ड डिपॉज़िट - नियम व शर्तें

डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में विस्तृत नियम व शर्तें देखने के लिए यहां क्लिक करें

32. डेबिट कार्ड

नियम व शर्तें